राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(523)परि/नियम/मु./2014/पार्ट/5289 जयपुर, दिनांकः 13/03/18

कार्यालय आदेश संख्या ....08..../2018

विषयः—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अन्तर्गत ई–रिक्शा/ई–कार्ट के संबंध में दिशा निर्देश।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 8A में यह प्रावधान है कि ई–रिक्शा तथा ई–कार्ट के निर्माता का यह दायित्व है कि वे चालक लाईसेंस प्राप्त करने के ईच्छुक व्यक्ति को न्यूनतम 10 दिवस का प्रशिक्षण देंगे। ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में अलग से सिलेबस निर्धारित नहीं है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में ई–रिक्शा तथा ई–कार्ट के चालकों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण में एक रूपता लाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा इस श्रेणी के वाहनों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सिलेबस का निर्धारण इस कार्यालय के आदेश संख्या 2/2018 दिनांक 09.02.2018 द्वारा किया जा चुका है। ई–रिक्शा/ई–कार्ट के संचालन को विनियमित करने की दृष्टि से परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.06.2015 को ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट के संबंध में सभी राज्यों को जारी की गई एडवाईजरी एवम् विभाग द्वारा इनके संचालन के संबंध मे लिये गये निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए सभी पंजीयन अधिकारियों को ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता हैः—

(1) भविष्य में सभी ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट के चालकों को प्रशिक्षण ई–रिक्शा/ई–कार्ट की पंजीकृत एशोसिएशन अथवा ऐसे वाहनों के निर्माताओं द्वारा आवश्यक रूप से विभाग द्वारा अनुमोदित 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुरूप दिया जायेगा।

(2) प्रशिक्षण के उपरान्त चालक को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप जिसकी प्रति प्रारूप–। पर संलग्न है में जारी किया जायेगा। प्रारूप की प्रति परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है।

(3) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 8A के तहत ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट के चालकों को प्रशिक्षण देने का दायित्व ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट की पंजीकृत एशोसिएशन अथवा निर्माताओं का है। चूंकि ई–रिक्शा निर्माताओं द्वारा आदिनांक तक

चालकों के प्रशिक्षण हेतु सुचारू व्यवस्था नहीं की गई है ऐसी परिस्थिति में राज्य में ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट के पंजीयन पर तब तक रोक रहेगी जब तक एशोसिएशन अथवा निर्माताओं द्वारा विभाग द्वारा अनुमोदित सिलेबस के अनुरूप प्रशिक्षण का कार्य शुरू नहीं किया जाता है। अतः वर्तमान में ई–रिक्शा/ई–कार्ट के ट्रेड सर्टिफिकेट धारी डीलर को जारी ट्रेड सर्टिफिकेट को तुरंत उस अवधी तक निलंबित किया जाये जब तक कि वाहन निर्माता द्वारा उसके द्वारा विक्रित वाहन के स्वामियों जो कि ऐसे वाहनों के चालक है के लिये विभाग द्वारा स्वीकृत सिलेबस के अनुसार प्रशिक्षण का कार्य चालू नही करता है।

(4) ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट का स्वामित्व वाहन चालक के नाम ही होना अनिवार्य होगा अर्थात ऐसे वाहन का पंजीयन लाईसेंस धारक के नाम से ही होना आवश्यक है ऐसे वाहन का संचालन भी पंजीकृत वाहन स्वामी द्वारा ही किया जायेगा। ऐसे वाहन के पंजीयन के समय वाहन स्वामी से उसके नाम जारी किया गया लर्नर लाईसेंस प्राप्त किया जावे ताकि उक्त तथ्य का सत्यापन किया जा सके। विशिष्ठ परिस्थितियों में जहां ऐसे वाहन का स्वामित्व किसी महिला अथवा किसी दिव्यांग व्यक्ति के नाम वाहन पंजीयन का आवेदन प्राप्त हाने वाले प्रकरणों में लाईसेंस के अभाव में भी वाहन का पंजीयन किया जा सकेगा। परंतु ऐसे वाहन का संचालन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसके पास ई–रिक्शा/ई–कार्ट चलाने का वैध चालक लाईसेंस होगा।

(5) एक ही व्यक्ति के नाम से एक से अधिक ई–रिक्शा/ई–कार्ट का पंजीयन नहीं किया जायेगा। पंजीयन अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनिश्चित करना होगा। अगर कोई ई–रिक्शा/ई–कार्ट पूर्व में ही उस व्यक्ति के नाम पंजीकृत है जिसके नाम से नये पंजीयन का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे वाहन का पंजीयन नहीं किया जाना है।

(6) ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट की पंजीकृत एशोसिएशन अथवा इन वाहनों के निर्माताओं द्वारा प्रशिक्षण शुरू करने से पूर्व प्रशिक्षण की कार्य योजना मय प्रशिक्षण का स्थान, प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध संसाधन, प्रशिक्षणकर्ता के नाम पता, मोबाईल नम्बर, ई–मेल इत्यादि का विवरण संबंधित पंजीयन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। प्रशिक्षण हेतु प्रस्तुत कार्य योजना पर पंजीयन अधिकारी के संतुष्ट होने के उपरान्त ही ई–रिक्शा

एवं ई–कार्ट के पंजीयन का कार्य किया जा सकेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुमोदित सिलेबस के अनुरूप ही दिया जायेगा।

(7) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.08.2016 को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट को परमिट प्राप्त करने की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। इस प्रावधान के परिणामस्वरूप ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट के संचालन को नियमित करने में अत्यधिक समस्याएं आ रही है। इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.08.2016 को जारी अधिसूचना के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया था कि राज्य सरकार स्थानीय यातायात परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट वाहनों को विनिर्दिष्ठ क्षेत्र अथवा मार्ग पर संचालन को निषिद्ध कर सकेगी। प्रत्येक जिले के शहरी क्षेत्र में यातायात संचालन को नियमित करने का कार्य जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। अतः इस हेतु सभी जिला कलेक्टरों को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 16.05.2017 को आदेश जारी कर तदानुसार निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। जारी आदेश की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः– (1) प्रशिक्षण सिलेबस।

(2) प्रारूप प्रमाण–पत्र

(3) जिला कलेक्टरो को जारी आदेश की प्रति।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

क्रमांकः प.7(523)परि/नियम/मु./2014/पार्ट/ 5290–5295 जयपुर, दिनांकः 13/03/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।

4. समस्त प्रादेशिक /जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपडेट करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

परिशिष्ट – 1

Name of the Association/Institute.............................

CERTIFICATE OF TRAINING IN DRIVING OF E-RICKSHAW/E-CART

(See rule 8A of CMVR,1989)

Certificate No. Date:

This is to certify that Shri/Smt./Kumari..son /wife /daughter of Shri ....residing at.....................was enrolled in this Association / institute on name and...................and his/her name is registered at serial number ....in our register and that he/she has undergone the course of training in driving of E- rickshaw/E-cart(Strike out which is not applicable) according to the syllabus prescribed for a period from.............To....................satisfactorily.

I am satisfied with his/her physical fitness and sense of responsibility.

Signature..............

Name...............

Desigantion...................

Details of registered of E- rickshaw association/ manufacture

Name...........

Address..............

Registration No.........................Date...................

The enrollment of trainee (s) and the driving hours spent by a trainees are to be maintained by the associations /manufacturer of E- rickshaws in form 14 and 15 of CMVR, 1989 respectively.